

M-932

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 5-5/2020/1/8
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23/10/2020

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों के आचरण संबंधी दिशा-निर्देश।

राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट अपील क्रमांक 1812/2019 में दिनांक 06/01/2020 को पारित आदेश के अनुक्रम में न्यायिक फोरम के समक्ष लंबित ऐसे समस्त प्रकरणों में, जिनमें राज्य शासन पक्षकार है, नियुक्त किए गए सभी प्रभारी अधिकारियों के लिए माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा उपरोक्त आदेश में उल्लिखित निर्देशों को समाहित करते हुए निम्नानुसार आचरण संहिता (Code of Conduct) निर्धारित करता है:-

1. प्रत्येक प्रभारी अधिकारी को प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण जानकारी/ तैयारी के पश्चात् ही राज्य के अधिवक्ता के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना चाहिए तथा रिटर्न/जवाब/अंतरिम आवेदन आदि तैयार कर रहे राज्य के अधिवक्ता को जानकारी देते समय पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, राज्य के अधिवक्ता से संपर्क रखते हुए उन्हें विनिर्दिष्ट किए गए न्यायालय प्रकरणों का मेहनत से और नियमित रूप से अनुसरण करें और प्रकरण की पूर्ण प्रगति के बारे में सतर्क और सचेत रहें।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी प्रत्येक प्रकरण की एक पृथक फाईल संधारित करेंगे जिसमें न्यायालय के समक्ष हुई समस्त सुनवाईयों से संबंधित आदेश की प्रतियाँ होंगी।

संचालनालय	
नगर तथा ग्राम निवेश	
आवक क्र.	878
दिनांक	06/11/2020
शाखा	विधि
सहा. संचा. (स्था.)	आयुक्त

न्यायालय की कार्यवाही में केवल प्रभारी अधिकारी को उपस्थित होने की अनुमति होगी। प्रभारी अधिकारी नियुक्त न होने पर जब आवश्यक हो कोई अन्य अधिकारी उपस्थित हो सकेगा जो राजपत्रित प्रणाली से निम्न स्तर का न हो।

निरन्तर.....2

प्र(2)
09/11/20

5. समस्त प्रभारी अधिकारी न्यायालय में सुनवाई के दौरान औपचारिक परिधान पहनेंगे।

6. प्रभारी अधिकारी प्रकरण के संबंध में सुसंगत सूचनाओं एवं दस्तावेजों से अच्छी तरह से सुसज्जित हो यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग के विधिक प्रकोष्ठ अथवा सक्षम अधिकारी के साथ आवश्यक सम्पर्क एवं समन्वय रखेगा।

7. महाधिवक्ता कार्यालय पहुंचने के पूर्व, प्रकरण का प्रभारी अधिकारी, विभाग के नोडल अधिकारी/सक्षम अधिकारी से संपर्क करेगा, प्रकरण के ब्यौरे साझा करेगा तथा महाधिवक्ता कार्यालय से फाइल चिन्हित कराने के पूर्व प्रकरण की अद्यतन स्थिति ज्ञात करेगा।

8. प्रभारी अधिकारी, उस विधि अधिकारी से जिसे फाइल चिन्हित की गई है, उसी दिन संपर्क करेगा और हस्तगत प्रकरण के संबंध में विधि अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करेगा। उसी दिन रिटर्न/ अपील/ संबंधित कार्यवाहियां तैयार/फाइल नहीं कर सकने की दशा में वह विशिष्ट कारणों के साथ संबंधित विधि अधिकारी से अगली तारीख के बारे में पृष्ठांकन प्राप्त करेगा।

9. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय छोड़ने के पश्चात् अपनी अभिरक्षा में अनावश्यक रूप से महाधिवक्ता कार्यालय की फाइल नहीं रखेगा।

10. प्रभारी अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों के बारे में विधिक प्रकोष्ठ/सक्षम विभागीय प्राधिकारी से तत्काल संवाद करने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. प्रभारी अधिकारी को विधिक प्रकोष्ठ के प्रमुख/सक्षम अधिकारी से यह सुनिश्चित करने के लिए सीधी पहुँच होगी कि प्रकरणों के तेजी से निपटाने को सुगम बनाने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय को सूचना/दस्तावेजों के प्रसारण में अनावश्यक देरी न हो।

12. प्रभारी अधिकारी मुकदमों के पूरी तरह समाप्त होने तक उसे समनुदेशित प्रत्येक प्रकरण को संभालने के लिए जिम्मेदार होगा। वह नियमित रूप से उसे समनुदेशित प्रकरण के संबंध में न्यायालयीन कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण (मॉनिटरिंग) करेगा और मासिक रूप से संबंधित विभाग के विधिक प्रकोष्ठ अथवा सक्षम अधिकारी को इस संबंध में प्रास्थिति प्रतिवेदन भेजेगा।


13. यह सुनिश्चित करने का प्रभारी अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि प्रकरण में न्यायालय में उचित रूप से प्रतिवाद किया गया है।

14. प्रभारी अधिकारी को पहले पदनाम उल्लेखित करते हुए नियुक्त किया जाएगा और ऐसे अधिकारी के स्थानान्तरण/सेवा निवृत्ति की दशा में वह अपना पद छोड़ने से पूर्व प्रकरण का संपूर्ण अभिलेख अपने उत्तराधिकारी को सौंपेगा जो निरन्तर प्रभारी अधिकारी रहेगा। उत्तराधिकारी अधिकारी नोडल अधिकारी की सम्यक सूचना के अधीन ऐसे परिवर्तन के बारे में विधिक प्रकोष्ठ के प्रमुख/सक्षम अधिकारी को शीघ्र ही प्रतिवेदन देगा।

15. किसी विशिष्ट प्रकरण में विपरीत आदेश पारित किए जाने की दशा में, आदेश की प्रमाणित/प्रमाणिक प्रति के साथ आवश्यक मत लेने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय से शीघ्र ही संपर्क करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी की होगी और वह उक्त मत के अनुसार परिसीमा के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा।

16. प्रभारी अधिकारी को उसे समनुदेशित प्रकरण के संबंध में किसी चूक को कर्तव्य पालन में लापरवाही/कदाचार माना जाएगा और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी।

2/ कृपया उक्त निर्देशों से आपके अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/ कार्यालयों/अधिकारियों को भी अवगत कराएं।


(मनीषा सेंटिया)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग



भोपाल, दिनांक २३/१०/२०२०

क्रमांक एफ ५-५/२०२०/१/८

प्रतिलिपि:-

१. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
२. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
३. रजिस्ट्रार,, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ
ग्वालियर/ इन्दौर
४. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय म.प्र.।
५. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
६. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
७. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल।
८. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
९. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
१०. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
११. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
१२. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
१३. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
१४. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
१५. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
१६. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर।
१७. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
१८. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय, जबलपुर/ इन्दौर/
ग्वालियर।
१९. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, (समस्त कक्ष) मंत्रालय, भोपाल।

(मनीषा सैतिया)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

१५/१०/२०

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
WA-1812-2019

(Shudhanshu Yadav Vs. Babulal Sharma & ors.)

Gwalior, Dated 06.01.2020

Shri Siddharth Sharma, learned counsel for the appellant.

Shri Pratip Visoriya, learned Govt. Advocate for the respondent/State.

This Intra Court Appeal u/S. 2 (A) of Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khandpeeth Ko Appeal) Adhiniyam, 2005 is preferred by the appellant who was though not a party in the petition in question but was OIC appointed by the State Government in W.P. No.13895/19 and has preferred this appeal against strictures passed by the learned Single Judge in regard to his conduct as an OIC in the said writ petition.

Since the appellant was not a party before the Writ Court, I.A. No.5214/19 has been filed seeking leave of this Court to prefer this appeal which after consideration is allowed for the reasons mentioned therein and since the impugned order contains strictures against appellant which may adversely affect his service career, appellant is permitted to prosecute this appeal. Moreover the order containing strictures which is assailed herein is an interlocutory order but assumes character of an order substantially affecting service conditions of appellant and therefore, present appeal is held to be maintainable.

Learned counsel for the appellant was heard on admission at the

very outset on 08.11.2019 and thereafter on 21.11.2019 when this Court thought it fit to hear the appellant in person.

The appellant in person is heard.

The appellant in person submits that though he has tried to justify his conduct as an OIC before the Single Bench but he does not wish to press those justifications and expresses unqualified apology since he has realized that he should have been more careful and circumspect while discharging the duties of OIC. The appellant Officer submits that he has recently been appointed in the Indian Forest Service and this assignment of OIC is one of his earliest assignments of it's kind. Expressing remorse and regret, the appellant also submits that he shall be careful in future while dealing with cases concerning judicial forums.

In view of the unqualified apology and regret expressed by the appellant in person and the fact of appellant being a young officer having a long career ahead which may be jeopardized by the strictures passed by the learned Single Judge, this Court is inclined to dispose of this appeal with the following directions:-

- (i) Direction regarding keeping a copy of order dated 17.10.2019 passed in W.P. No.13895/2019 in the service book of appellant contained in the impugned order stands deleted.
- (ii) The appellant is warned to be careful in future while dealing with cases concerning judicial forums.

(iii) However, so far as the direction contained in the first para of last page of the impugned order from “manner in which.....to take necessary actions in the matter” shall remain intact.

(iv) Chief Secretary of the Govt. of M.P. is directed to issue standing instructions notifying code of conduct for all the OICs appointed in every case pending before any judicial forum in the State of M.P., which *inter alia* should provide thus:-

(a) All OICs should personally attend offices of the counsel for the State after being fully prepared with facts of the case and tender full assistance while instructing the State counsel, preparing return/reply/I.As. etc.

(b) All OICs to diligently and regularly pursue the court cases assigned to them by keeping in touch with the State's counsel and remain vigilant, attentive and aware of all the developments in the case.

(c) All OICs to maintain a separate office file qua each case *inter alia* containing copies of order-sheets of all the hearings which take place before the Court.

(d) No person except the OIC or if OIC is not appointed then an officer not below the rank of gazetted Officer shall be permitted to attend the Court proceedings as and when required.

(e) All OICs while attending the court hearings ought to be formally dressed avoiding casuals.

(v) The appellant is directed to tender unconditional and unqualified apology before the learned Single Judge in W.P. No.13895/19 by way of an affidavit latest by **10.01.2020**.

To give a more effective and tangible form to the remorse expressed by the appellant following further directions are issued:-

(a) The appellant is directed to purchase from his personal resources 50 Arica Palm Trees of minimum height of 4-5 ft. and deliver the plants to the District Judge Sheopur for increasing green cover and purifying the environment of campus of the Civil Courts at Sheopur.

(b) Appellant is directed to develop by way of landscaping (lawns, pathways, water bodies, bushes, plants & trees, benches, flower-beds etc.) the undeveloped open land appurtenant to the District Courts building at Sheopur (front and rear both).

(c) To enable the petitioner to execute the aforesaid direction (b), the State Government and its functionaries (including PWD) shall extend the necessary physical and financial assistance. If required appellant shall be free to seek logistical support from any other departments of the Government or local bodies which shall be obliged to cause all assistance to petitioner.

(d) The District Judge Sheopur is directed to inform the appellant the appropriate days and time-slot within which work of landscaping can be executed so that there is no hindrance in the judicial work within the campus of the civil court building.

(e) The aforesaid direction (b) shall be complied with within 60 days and compliance report be filed by appellant with Registry of this Court at Gwalior latest by 12.03.2020 failing which Registry is directed to list this matter as PUD for compliance, the consequences of which would be borne entirely by appellant.

(f) Registry is directed to communicate this order to the Additional Advocate General Gwalior to ensure cooperation by all the functionaries of the State to aid and assist (physically and financially) the appellant to execute the direction qua landscaping.

(Sheel Nagu)
Judge

(Rajeev Kumar Shrivastava)
Judge

ojha



YOGENDRA
OJHA
2020.01.07
10:42:42 +05'30'